न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO), बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी :– श्री नीरज मिश्र आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :– 1297/2017

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
1 बलदेव कुमार पुत्र वीरमाराम जाति जटिया निवासी जटियों का नया वास बाडमेर तहसील व जिला बाडमेर।		1 बलदेव कुमार पुत्र जवानाराम जाति जटिया निवासी जटियों का नया वास, बाडमेर तहसील व जिला बाडमेर 2 तहसीलदार बाडमेर।

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 136 RLR Act.

उपस्थिति :– 1 श्री वीरमाराम चौधरी वकील प्रार्थी।

आदेश

दिनांक 21.12.2017

संक्षिप्त में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी व अन्य सहखातेदारान की भूमि मौजा महाबार तहसील व जिला बाडमेर के मूल संख्या संख्या 83 रकबा 173.04 बीघा की आई हुई थी। उक्त भूमि में प्रार्थी के पिता वीरमाराम का देहान्त होने पर भवरलाल, मोहनलाल, धर्माराम, बलदेव कुमार एवं प्यारी देवी के नाम दर्ज हुई तथा प्यारी देवी के देहान्त पर भवरलाल, मोहनलाल, धर्माराम व बलदवे कुमार के नाम दर्ज हुई। उक्त भूमि का विभाजन प्रार्थी, प्रार्थी के भाई भवरलाल, मोहनलाल, धर्माराम एवं अन्य सहखातेदार के मध्य होने से जरिये नामान्तकरण संख्या 2003 प्रार्थी, प्रार्थियों के भाईयों का अन्य सहखातेदारों के साथ खाता विभाजित कर खसरा संख्या 2525/83 रकबा 19.12 बीघा भूमि हिस्से में आई। उक्त भूमि में से प्रार्थी के भाई भंवरलाल, मोहनलाल व धर्माराम द्वारा अपना सम्पूर्ण हिस्सा जरिये हकतर्क नामा प्रार्थी के पक्ष में हकतर्क कर दिया, जिस पर सम्पूर्ण भूमि 09.12 बीघा का नामान्तकरण संख्या 2167 प्रार्थी के पक्ष में पारित किया गया। प्रार्थी द्वारा उक्त भूमि में से 02.00 बीघा भूमि का बेचान गोमाराम के पक्ष में करने से नामान्तकरण 3005 पारित होकर प्रार्थी के खेत खसरा संख्या 2525/83 रकबा 07.12 बीघा भूमि शेष रही। प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी की पैतृक भूमि का खाता संख्या 181 था एवं प्रार्थी की मौजा महाबार में अन्य खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 3381/71 एवं 3382/78 खाता सख्या 257 में दर्ज है। पटवारी हल्का द्वारा सम्वत् 2066 से 2069 के बाद सम्वत् 2070 से 2073 की खतौनी का संधारण करते समय भूलवश प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 01 दोनों का एक ही नाम होने से प्रार्थी की खाता संख्या 181 के खेत खसरा संख्या 2525/83 रकबा 07.12 बीघा भूमि गलत रूप से अप्रार्थी संख्या 01 के खाता संख्या 259 में दर्ज कर दी, जो स्पष्ट रूप से पुराना खाता संख्या 181 अंकित है तथा उक्त खाता प्रार्थी की भूमि का ही खाता था, प्रार्थी के पुराने खाता संख्या 181 से खसरा संख्या 2525/83 भूमि को खाता संख्या 257 में अंकन करना था परन्तु पटवारी हल्का

उप खण्ड अधिकारी
बाड़मेर

द्वारा भूलवश त्रुटी से गलत रूप से अप्रार्थी संख्या 01 के खाते में दर्ज किया, जिस रेकर्ड को प्रार्थी शुद्ध करवाने का अधिकारी है।

आवेदन दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नॉटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 बावजूद सुचना अनुपस्थित होने से उसके विरूद्ध ईकतरफा कार्रवाई अमल में लाई गई। प्रकरण का तथ्यात्मक प्रतिवेदन तहसीलदार बाडमेर से तलब किया गया। तहसीलदार बाडमेर द्वारा आवेदन में अंकित तथ्यों की पुष्टी करते हुए यह अंकित किया है कि खसरा संख्या 2525/83 रकबा 07.12 बीघा भूलवश बलदेव कुमार पुत्र जवानाराम के खाते में दर्ज हो गया है, जबकि वास्तव में उक्त खसरा बलदेव कुमार पुत्र वीरमाराम के नाम दर्ज होना चाहिए था।

वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकट तथ्यों एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन से ज्ञात होता है कि ग्राम महाबार के खसरा संख्या 83 रकबा 173.04 बीघा बलदेव कुमार पुत्र वीरमाराम के नाम से संयुक्त खातेदारी में दर्ज था, जिसका सभी खातेदारों द्वारा आपसी सहमति से बंटवाड़ा करवाया गया, जिसका नामान्तकरण संख्या 2003 पारित किया। उक्त बंटवाड़े में खसरा संख्या 2525/83 रकबा 09.12 बीघा भूमि बलदेव कुमार, भंवरलाल, मोहनलाल, धर्माराम पिसरान वीरमाराम के नाम दर्ज किय गया। बलदेव कुमार के भाईयों द्वारा अपना हिस्सा बलदेव कुमार के नाम हकतर्क करने पर जरिये नामान्तकरण संख्या 2167 द्वारा सम्पूर्ण भूमि खसरा संख्या 2525/83 रकबा 09.12 बीघा बलदेव कुमार पुत्र वीरमाराम के नाम दर्ज हुई। बलदेव कुमार द्वारा उक्त भूमि में से 02.00 बीघा भूमि का बेचान गोमाराम के पक्ष में किया गया, जिसका नामान्तकरण संख्या 3005 दर्ज किया गया। ततपश्चात् बलदेव कुमार पुत्र वीरमाराम के नाम खसरा संख्या 2525/83 में रकबा 07.12 बीघा भूमि शेष रही। बलदेव कुमार पुत्र वीरमाराम द्वारा अन्य कोई बेचान नही किया गया है। पटवारी हल्का द्वारा जमाबन्दी संधारित करते वक्त उक्त खसरा भूलवश बलदेव कुमार पुत्र जवानाराम के खाते में दर्ज किया, जिसे शुद्ध किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः आवेदन प्रार्थी स्वीकार किया जाकर मौजा महाबार के खसरा संख्या 2525/83 रकबा 07.12 बीघा भूमि बलदेव कुमार पुत्र जवानाराम के स्थान पर बलदेव कुमार पुत्र वीरमाराम जाति जटिया निवासी जटियों का वास बाडमेर शुद्ध किया जाता है। तहसीलदार बाडमेर तदनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन करें।

(नीरज मिश्र)
उपखण्ड अधिकारी (SDO),
बाड़मेर

आदेश आज दिनांक 21.12.2017 को सरें इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (SDO),
बाड़मेर

Scanned by CamScanner